

ग्रामीण सेवा विधिर-2025
केस . संख्या . दि. 04/10/2025

(रा.स. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाणा जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम राखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 20 में मेरा/हमारे नाम बरकर खो पुत्र सुमन खो हिरसा 10 काम मुसलमान दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम बरकर खो पुत्र सुबान खो हिरसा 10 काम मुसलमान का हिरसा 10 अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

अ.र. हरनाक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण
बरकर खो

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार गई बँकडायी प. न. कार्ड में नाम बरकर खो पुत्र सुबान खो दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम बरकर खो पुत्र सुमन खो दर्ज है जो कि कशुह है अतः प्रार्थी का नाम बरकर खो पुत्र सुमन खो के स्थान पर बरकर खो पुत्र सुबान खो कशुह किया जाना उचित है

स. 04/2025
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार
रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

स. 04/10/2025
तहसीलदार समदडी

GCMS-2025/605

आदेश

दिनांक 10/10/2025

क्रमांक / 1644 /

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम राखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 20 में बरकर खो पुत्र सुमन खो के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज



बरकर खो पुत्र सुबान खो

कार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाणा, बालोतरा